



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैरइरादतन हत्या के 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व ₹ 1,16,750 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु०अ०सं०-637/2014 धारा-323,504,336,304 भा०द०सं० व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभि०गण 1.भागवत नारायण पुत्र आनन्दी 2.अनिल कुमार पुत्र मंगल सिंह 3.मंगल सिंह पुत्र भागवत नारायण नि०गण ग्राम उजनेर थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व ₹1,16,750 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक
श्री विजय सिंह



विवेचक-
सीओ श्री सीताराम



पैरोकार- थाना मझगवां
का० सर्वेश सिंह